बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :– 01/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(जमुई)–14/2021...5761...... **पटना, दिनांक** :–12/05/2023

आदेश

दिनांक – 19.04.2023 को जूम एप के माध्यम से जमुई जिले के शिविर खैरा–03 में किए जा रहे सर्वेक्षण कार्यो की समीक्षा की गयी है। समीक्षा के क्रम में श्री अमित कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN02123) को आवंटित राजस्व ग्राम पकड़ी, थाना संख्या – 85 का खानापुरी कार्य दिनांक 03.12.2022 को पूर्ण होने के उपरांत भी समीक्षा की तिथि यथा दिनांक 19.04.2023 तक एल0पी0एम0 वितरण का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। जबकि उक्त राजस्व ग्राम में कुल खेसरों की संख्या मात्र 1506 है। इससे स्पष्ट हुआ कि इनके द्वारा कार्य के प्रति घोर लापरवाही एवं शिथिलता बरती गयी है।

सर्वे कार्यो में लापरवाही एवं शिथिलता बरतने के आरोप में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक 2953 दिनांक 25.04.2023 द्वारा आरोपित से 03 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। आरोपित द्वारा अपना स्पष्टीकरण निर्धारित अवधि में समर्पित किया गया है।

आरोपित द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण का अवलोकन किया गया है। स्पष्टीकरण में यह अंकित किया गया है कि इनके द्वारा प्रपत्र–6 में डाटा इंट्री का कार्य दिनांक 14.06.2023 को समाप्त कर दिया गया है। कार्य में हुए विलंब के लिए यह तथ्य दिया गया है कि सरकारी भूमि का कोई भी साक्ष्य शिविर स्तर से नहीं दिया गया है एवं रैयतों द्वारा उपलब्ध दस्तावेज में खाता, खेसरा का जिक्र नहीं होता है, जिसके कारण कार्य में विलंब हुआ है। इसके साथ ही भविष्य में ऐसी गलती नहीं करने की बात कही गयी है।

बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित आरोप, आरोपित से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं संचिका में रक्षित दस्तावेजों/अभिलेखों की समीक्षा की गयी है। समीक्षोपरांत पाता हूँ कि आरोपित द्वारा अपने स्पष्टीकरण में कार्य में बरती गयी लापरवाही के लिए बहाने बाजी करते हुए तथ्य दिया गया है। इस संबंध में संचिका में रक्षित प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि खानापुरी कार्य से प्रपत्र–6 में डाटा इंट्री कार्य तक इनके द्वारा 12 माह की लम्बी अवधि ली गयी है। साथ ही इनके द्वारा सर्वेक्षण के प्रत्येक प्रक्रम में विलंब किया गया है। विशेष सर्वेक्षण कार्य एक समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसे पूर्ण करने के लिए सरकार द्वारा समय–सीमा निर्धारित की गयी है। इसके अनुरूप ही सर्वेक्षण के विभिन्न प्रक्रमों में किए जाने वाले कार्यो के लिए समयावधि निर्धारित है। ऐसे में आरोपित द्वारा सर्वेक्षण के प्रत्येक प्रक्रमों में विलंब किए जाने से निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पायी है। ऐसे संविदा कर्मियों के रहते निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य की प्राप्ति किया जाना संभव नहीं होगा। इनके द्वारा कार्य में की गयी लापरवाही एवं कार्य में बरती गयी शिथिलता का प्रभाव अन्य संविदा कर्मियों पर न पड़े, इसके दृष्टिगत इनका संविदा नियोजन समाप्त किया जाना ही उचित होगा।

अतः **''बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम – 8(4)''** में वर्णित प्रावधान के तहत श्री अमित कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN02123) का संविदा अनुबंध रद्द किया जाता है।

(जय सिंह) 12/7/23
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ह० ८०३०

ज्ञापांक :– 01/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(जमुई)–14/2021 5761 **पटना, दिनांक** :–12/07/2023

प्रतिलिपि :– श्री अमित कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN02123), बंदोबस्त कार्यालय, जमुई को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 01/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(जमुई)–14/2021 5761 **पटना, दिनांक** :–12/07/2023

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 01/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(जमुई)–14/2021 5761 **पटना, दिनांक** :–12/07/2023

प्रतिलिपि :– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं इसकी स्कैन कॉपी R2R अन्तर्गत श्री कुमार की व्यक्तिगत संचिका में संधारित करने हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप